छ0ग0 विधान सभा बजट सत्र 2026
ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक -09, 79
द्वारा- माननीय विधायक श्री अजय चंद्राकर व
श्री धरमलाल कौशिक

// वक्तव्य //

यह कहना सही नहीं है, कि प्रदेश में नशीली पदार्थ जैसे चरस, गांजा, ब्राउन शुगर, हेरोईन, अफिम, डोडा, नशीली गोलियों की तस्करी पर लगाम नही लगाया जा रहा है, वस्तु स्थिति यह है कि शासन अवैध नशीली दवाई, गांजा, एवं अन्य मादक पदार्थो के तस्करी एवं बिक्री रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

प्रदेश में विगत 04 माह में अवैध मादक पदार्थ तस्करी के कुल 399 प्रकरणों में 679 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे गांजा 6791 किग्रा, ब्राउन शुगर 37 ग्राम, अफीम 484 ग्राम, हेरोईन 264.35 ग्राम, कोकिन 16.56 ग्राम, एमडीएमए 23.84 ग्राम, डोडा 512.880 किग्रा एवं नशीली दवाईयां 98231 नग जप्त किया गया है।

जिला रायपुर व दुर्ग अंतर्गत मादक पदार्थ पीने का साधन जैसे गोगो, स्मोकिंग कोन, रोलिंग पेपर आदि के बिक्री के विरूद्ध लगातार विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। चेकिंग के दौरान प्रतिबंधित नशा सेवन की सामग्रियों पर कार्यवाही करते हुए 18 अनावेदकों के विरूद्ध धारा 223, 106, 126, 135(3), बीएनएसएस की कार्यवाही की गई है। पुलिस आयुक्त, रायपुर क्षेत्रांतर्गत उक्त सामग्रियों को प्रतिबंधित करने हेतु आदेश भी पारित किया गया है।

जिला रायपुर में दिनांक 20 मई 2025 को थाना खरोरा अंतर्गत अपराध क्रमांक 308/2025 धारा 20बी,(2)(C) एनडीपीएस एक्ट दर्ज कर 01 आरोपी को गिरफ्तार कर उससे 27.894 किग्रा गांजा जप्त किया गया है। प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है। साथ ही उक्त प्रकरण में 01 फरार आरोपी की सम्पत्ति अनुमानित कीमत 98,46,330 रूपये को फ्रीज भी कराया गया है।

माह दिसम्बर के अंतिम सप्ताह में रायपुर पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाते हुए कुल 09 प्रकरण पंजीबद्ध कर 13 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनसे गांजा 2.959 किग्रा, हेरोईन 47.49 ग्राम, अफिम 1.75 ग्राम, एमडीएमए 23.84 ग्राम एवं डोडा 2.150 किग्रा जप्त किया गया है।

जिला रायगढ़ में दिनांक 23.06.2025 को उड़ीसा से नशीली दवाईयां तस्करी करते पाये जाने से थाना चक्रधरनगर में अपराध क्र. 278/2025 धारा 22, 29 एनडीपीएस एक्ट दर्ज कर 02 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे 250 नग पेंआजोसीन इंजेक्शन एवं 160 नग नाईट्राजेपम टेबलेट जप्त किया गया। प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।

बिलासपुर पुलिस द्वारा ड्रग नेटवर्क के विरूद्ध सघन व प्रभावी कार्यवाही करते हुए विगत 02 वर्षों में 181 प्रकरणों में 306 आरोपियों को गिरफ्तार कर, गांजा 1254 किग्रा, इंजेक्शन 3839 नग, टेबलेट व कैप्सूल 31,184 नग, सीरप 1253 नग, गांजा का पौधा 05 नग, अफिम 2.013 किग्रा एवं हेरोईन 34.84 ग्राम जप्त किया गया है।

दिनांक 11 फरवरी 2026 को थाना टिकरापारा में आरोपी आरक्षक से 01 ग्राम हेरोईन(चिट्टा) जप्त करते हुए अपराध क्र. 119/2026 धारा 21, 21बी, 29 एनडीपीएस एक्ट पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण में 01 अन्य आरोपी से 5.5 ग्राम हेरोईन(चिट्टा) व 01 नग जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तारी करते हुए प्रकरण में धारा 25 आर्म्स एक्ट भी जोड़ा गया है। प्रकरण विवेचनाधीन है।

राज्य में वर्ष 2025 में अवैध मादक पदार्थ तस्करी के कुल 1288 प्रकरणों में 2342 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे गांजा 16999.7 किग्रा, ब्राउन शुगर 141 ग्राम, अफिम 1259 ग्राम, हेरोईन 2.039 किग्रा, चरस 27.68 ग्राम, कोकिन 23.56 ग्राम, एमडीएमए 70.46 ग्राम, डोडा 1524 किग्रा, हशीश तेल 20.432 किग्रा एवं अन्य नशीली दवाईयां 241138 नग जप्त किया गया है।

वर्ष 2026 में (31 जनवरी 2026 तक) कुल 146 प्रकरणों में 257 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे गांजा 3090 किग्रा, ब्राउन शुगर 8.85 ग्राम, अफिम 277.2 ग्राम, हेरोईन 123.8 ग्राम, डोडा 15.29 किग्रा, नशीली दवाईयां 59270 नग जप्त किया गया है। पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्करी की रोकथाम हेतु लगातार प्रभावी कार्यवाही किया जा रहा है। विभाग द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी में संलिप्त अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

शासन द्वारा नशीले पदार्थ के रोकथाम हेतु राज्य के सभी जिलों में टास्क फोर्स का गठन किया गया है एवं 10 जिलो में ए.एन.टी.एफ. हेतु 100 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है।

एनडीपीएस एक्ट के तहत् दर्ज प्रकरणों में End to End विवेचना की जाकर आरोपियो एवं उनके सहयोगी/सप्लायर के विरूद्ध Financial Investigation की कार्यवाही भी की जा रही है। वर्ष 2025 में 16 आरोपियों की 13,29,54,735/- रूपये की सम्पत्ति जप्त/फ्रीज कराई गई है। वर्ष 2024 से 31 जनवरी 2026 तक 145 आदतन आरोपियों के विरूद्ध PIT-NDPS Act की कार्यवाही की गई है। अवैध मादक पदार्थों के शिकायत हेतु जारी ''मानस'' टोल फ्री नम्बर 1933 का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। स्कूल-कॉलेजों, गांव-कस्बों, सार्वजनिक स्थानों एवं थाना चौकियों के महत्वपूर्ण स्थानों पर जनचौपाल, बैनर-पोस्टर, एवं सोशल मीडिया के माध्यम् से नशे से दूर रहने हेतु लगातार नशामुक्त अभियान चलाया जा रहा है।

शासन के ठोस प्रभावी कार्यवाही से मादक पदार्थों के Supply व Demand Network को तोड़ा जा रहा है। यह कहना सही नही है कि प्रदेश की जनता में रोष व आक्रोश व्याप्त है।

(विजय शर्मा)
उप मुख्यमंत्री, गृह